

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 09/2015

संस्थित दिनांक-22.06.2007

फाईलिंग नंबर-230303001642008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. डब्लू उर्फ डब्लू उर्फ रणविजय सिंह राजपूत पुत्र थानसिंह  
उम्र 58 साल निवासी ग्राम जारेट थाना मौ
2. रिकू उर्फ बलभद्र सिंह पुत्र थानसिंह राजपूत  
उम्र 37 साल निवासी ग्राम खैरोली थाना  
अमायन जिला भिण्ड म0प्र0 -----पूर्व से निराकृत
3. मण्टू उर्फ केशवसिंह राजपूत पुत्र थानसिंह  
राजपूत उम्र 34 साल निवासी अमायन -----शेष उपस्थित आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक  
आरोपी मंटू उर्फ केशव द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता

### **--::-- निर्णय --::--**

(आज दिनांक 23 अप्रैल 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. विचारण में शेष बचे अभियुक्त मंटू उर्फ केशवसिंह के विरुद्ध धारा 394 सहपठित धारा-398 भा0द0वि0 एवं धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दि0-22.04.07 को रात लगभग 8:15 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घमूरी दंदरौआ के बीच आम रास्ता पर दो अन्य अपराधियों के साथ संयुक्त रूप से तथा प्राणघातक आयुध आग्नेय शस्त्र से सज्जित रहते हुए राजकुमार को स्वच्छया उपहति कारित करते हुए उसकी मोटरसाईकिल की और ऊषादेवी से मंगलसूत्र की लूट कारित की।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि फरियादी राजकुमार एवं उसकी माँ ऊषादेवी के साक्षी अरुण, सुनील, नरेन्द्र, व बलराम रिश्तेदार हैं। तथा प्रकरण में आरोपीगण डब्लू उर्फ डब्लू उर्फ रणविजय तथा रिकू उर्फ बलभद्र के निराकरण 08/11/2015 को चुका है जिसके मुताबिक आरोपीगण दोषमुक्त किए गये हैं ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी राजकुमार शर्मा अपनी माँ ऊषादेवी के साथ दिनांक 22.04.07 को ग्राम रनगवां के मौसा कमलसिंह

के यहाँ से अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-30 एमबी-3166 प्लेटिना पर बैठकर अपने घर ग्राम सोनी जा रहा था। उसके आगे उसके रिश्तेदार सुनील, नरेन्द्र, बलराम जो कि राजदूत मोटरसाईकिल से चल रहे थे। ग्राम सौरा में उसके पीछे एक बजाज मोटरसाईकिल बिना नंबर पर तीन लड़के पीछे चल रहे थे। जैसे ही उसकी मोटरसाईकिल घमूरी दंदरौआ के बीच आम रोड़ पुलिया के पास रपटा पर पहुंची तो इन तीनों लड़कों ने उसे घेर लिया। उसने अपनी मोटरसाईकिल खड़ी की सोई एक लडका जो जींस का पेंट पहने था तथा मुंह पर सफेद साफी बांधे था। उसने बारह बोर की बंदूक उसकी मोटरसाईकिल में मारी तथा उसके सिर में भी मारी। जिससे उसके सिर से खून निकला। एक बदमाश ने उनके साथी नरेन्द्र, सुनील व बलराम को कट्टा दिखाया। जो जींस का पेन्ट, जींस टीशर्ट सफेद साफी पहने थे कद औसत था। तथा एक बदमाश जो जींस का पेंट साफी पहने व टिगने कद का था। उसने जबरन उसकी माँ का मंगलसूत्र उतार लिया। बंदूक वाला बदमाश इकहरे बदन का लंबा था। इन तीनों बदमाशों उसकी मोटरसाईकिल व मंगलसूत्र की लूट कर मौ तरफ भाग गये। फिर वह थाना मेहगांव रात्रि में गया जिन्होंने उसकी मेडिकल कराया गया। तब थाना मेहगांव से एमएलसी रिपोर्ट लेकर उसने दिनांक 23.04.07 को थाना मौ पर उपरोक्तानुसार रिपोर्ट की।

4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मौ को करने पर अप0क्र0-27/07 धारा-394 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई एवं विवेचना में जप्ती, गिरफ्तार, मेमोरेण्डम एवं साक्षीगण के कथन लिये एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त मण्टू उर्फ केशवसिंह राजपूत के विरुद्ध धारा 398 भा0द0वि0 सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपी की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

अ- क्या दिनांक 22.04.07 को रात 8.15 बजे राजस्व जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट प्रभावशील था?

ब- क्या आरोपी मंटू उर्फ केशव सिंह राजपूत ने दि0-22.04.07 को रात लगभग 8.15 बजे ग्राम घमूरी दंदरौआ के बीच आम रास्ता पर उन्होंने दो अन्य अपराधियों के साथ संयुक्त रूप से तथा प्राणघातक आयुध आग्नेय शस्त्र से सज्जित रहते हुए राजकुमार को स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए उसकी मोटरसाईकिल की और ऊषादेवी से मंगलसूत्र की लूट कारित की ?

**--::--निष्कर्ष के आधार :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक- अ एवं ब का निराकरण**

7. उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में

पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

**नोट:-** प्रकरण में फरियादी राजकुमार की खून आलूदा टी-शर्ट अ0सा0-4 सुनील कुमार के कथन में प्र0पी0-5 के रूप में प्रदर्शित अंकित है। किन्तु जप्ती पत्रक पर प्रदर्श पूर्व से अंकित न होने के कारण विवेचक राजेश शर्मा अ0सा0-10 के कथन में उसे प्र0पी0-12 के रूप में भी अंकित कर दिया गया है जो दोनों एक ही दस्तावेज होने से उसे पूर्व से अंकित प्र0पी0-5 के रूप में ही विश्लेषण में लिया जा रहा है। इसलिये शेष प्रदर्शित दस्तावेज जिस क्रम से अंकित है, उन्हें उसी रूप में सुविधा की दृष्टि से आगे विश्लेषण में लिया जा रहा है एवं प्रदर्श पी.-4 के रूप में दस्तावेज प्रदर्श होने से छूट गया है।

8. परीक्षित साक्षियों में से डॉ० के०पी० राजौरिया अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 22.07.07 का सी०एच०सी० मेहगांव में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए पुलिस मेहगांव द्वारा राजकुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सोनी को मेडिकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने रात दस बजे उसकी चोटों का परीक्षण किया था। जिसके माथे पर बाईं ओर एक फटा हुआ घाव डेढ़ गुणित डेढ़ गुणित  $1/2$  गुणित  $1/4$  से०मी० का पाया था जिसमें खून जमा हुआ था। घाव के किनारे अंदर की ओर थे जिसकी उसने प्र0पी0-1 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी। उक्त चिकित्सक ने चोट परीक्षण से छः घण्टे के भीतर की साधारण प्रकृति की बताते हुए मोटरसाईकिल चलाते समय गिर जाने पर आने की संभावना व्यक्त की है और आहत के पहने हुए कपड़ों के बारे में याद न होना बताया है। अभियोजन कथानक मुताबिक घटना भी दिनांक 22.04.07 के रात करीब 8.15 बजे की बताई गई है। इस हिसाब से चिकित्सक द्वारा बताई गई समयावधि को देखते हुए आहत राजकुमार की चोटें घटना के समय की संभावित दर्शित होती हैं।

9. इस संबंध में जो अन्य साक्षी परीक्षित हैं उनमें आहत राजकुमार की माँ ऊषादेवी अ0सा0-2 जो कि घटना में पीड़िता बताई गई है, उसने तथा अन्य मौके के बताये गये साक्षी सुनीलकुमार शर्मा अ0सा0-4, नरेन्द्र शर्मा अ0सा0-6 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में राजकुमार को लूट करने वालों के द्वारा बंदूक के बट से चोटें पहुंचाई जाना कहा है। स्वयं फरियादी व आहत राजकुमार अ0सा0-8 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक-एम०पी०-30 एमबी-3166 को और उसकी माँ के मंगलसूत्र का पहचानने के वालों में से एक के द्वारा बारह बोर बंदूक सिर पर मारना और उससे चोटें आना बताया है। जिस प्रकार की चोटें आहत को बताई गई हैं वह बंदूक के बट से संभावित हैं। इसलिये यह तो प्रमाणित होता है कि प्र0पी0-1 मुताबिक जो चोटें आहत राजकुमार को माथे पर पहुंचाई गई, वह बंदूक के बट से संभावित है और राजकुमार के साथ बताई गई लूट की घटना में आ सकती है। किन्तु आगे यह देखना होगा कि क्या विचाराधीन आरोपी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा ही लूट कारित करते हुए आहत राजकुमार को उक्त चोटें पहुंचाई गई हैं या नहीं। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकित करना होगा।

10. मूल घटना के संबंध में सर्वाधिक महत्व का साक्षी फरियादी राजकुमार अ0सा0-8 है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि 7-8 साल पहले वह अपनी बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल क्रमांक-एम०पी०-30 एम०बी०-3166 से अपनी माँ को लेकर ग्राम रनगवां से अपने गांव सोनी जा रहा था। उनके आगे उनके अन्य रिश्तेदार सुनील, नरेन्द्र, बलराम मोटरसाईकिल से जा रहे थे। रास्ते में ग्राम घमूरी दंदरौआ के बीच आम रोड़ पुलिया के पास

जैसे ही वे रपटे पर पहुंचे तब एक मोटरसाइकिल पर तीन लड़के मुंह बांधे हुए आये और उनमें से एक लड़के ने 12 बोर की बंदूक उसके सिर पर मारी थी जिससे खून निकला। तथा एक बदमाश ने उनके रिश्तेदार नरेन्द्र, सुनील व बलराम को कट्टा दिखाया और उसकी माँ का मंगलसूत्र छीन लिया तथा बदमाश उसकी मोटरसाइकिल की लूट करके भाग गये थे। फिर उसने घटना की थाना मेहगांव में जाकर रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उनका मेडिकल कराया था। रिपोर्ट प्र0पी0-10 पर साक्षी ने अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताते हुए यह भी कहा है कि बाद में पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-2 बनाया था और उसकी खून से सनी हुई शर्ट जप्त की थी जिसका जप्ती पत्र प्र0पी0-5/12 बनाया था। इसके अलावा पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। न उसने और कोई बात पुलिस को बताई।

11. अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-2 में यह कहा है कि उसकी मोटरसाइकिल आरोपीगण से जप्त हुई थी जो उसे सुपुर्दगी में प्राप्त हुई थी जो खराब हो चुकी है। लेकिन उक्त साक्षी ने पैरा-3 में इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि उसने एफ0आई0आर0 प्र0पी0-10 में और पुलिस कथन प्र0पी0-13 में बदमाशों की पहचान, उनके पहने हुए कपड़े, कद काठी, हुलिया आदि बताया था। इस बात से भी इन्कार किया है कि घटना कारित करने वालों में एक बदमाश औसत कद का, एक ठिगने कद का, और एक इकहरे बदन का था जो उसने रिपोर्ट प्र0पी0-10 में बी से बी एवं कथन प्र0पी0-13 के ए से ए भाग में लिखाया था। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि घटना कारित करने वालों को उसने पहचान लिया था। आरोपीगण से मिल जाने और उनके पक्ष में असत्य कथन करने से भी वह इन्कार करते हुए पैरा-4 में यह कहता है कि उसकी मोटरसाइकिल किस स्थान से और तीनों में से किस आरोपी से जप्त हुई थी, यह उसे पता नहीं है। पैरा-5 में उसने घटना के समय रात होने, अंधेरा होने और बदमाशों का मुंह बंद किये जाने से उनके चेहरे न देख पाना बताते हुए यह कहा है कि पुलिस ने उससे कोई शिनाख्ती नहीं कराई थी।

12. इस प्रकार से फरियादी राजकुमार अ0सा0-8 के मुताबिक वह रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की संख्या तीन होना, मोटरसाइकिल से जाते समय ग्राम घमूरी, दंदरौआ के बीच आम रोड़ पर पुलिया के पास रपटे पर उसकी मोटरसाइकिल और उसकी माँ का पहना हुआ सोने का मंगलसूत्र छीनते हुए लूटकर ले जाना बताया है। उसके अभिसाक्ष्य पैरा-2 में विचाराधीन आरोपी मंटू के संदर्भ में यह तथ्य बताया गया है कि उसकी मोटरसाइकिल आरोपीगण से जब्त हुई थी जो उसे सुपुर्दगी पर प्राप्त हुई थी जो अब खराब हो चुकी है। पैरा-4 में उसने यह कहा है कि उसकी मोटरसाइकिल किस स्थान से जब्त हुई थी यह उसे पता नहीं है। और तीनों आरोपियों में से किससे जब्त हुई थी यह उसे पता नहीं है। इससे मोटरसाइकिल आरोपीगण में से किसीसे बरामद होने के तथ्य का प्रतिपरीक्षा में खण्डन नहीं हुआ है और अभिलेख पर प्रदर्श पी.-2 के जप्ती पत्रक मुताबिक जो मोटरसाइकिल प्लेटिना सिल्वर रंग की जिसका चेसिस नंबर-50224 और इंजन नंबर-32121 मॉडल 2006 की आरोपी मंटू के कब्जे से बरामद बतायी गयी है जिसके संबंध में पंच साक्षी शिवनारायण अ.सा.-3 और अरुण शर्मा अ.सा.-5 ने तो समर्थन नहीं किया है किन्तु जप्ती कर्ता ए.एस.आई. ए.एस. सिकरवार अ.सा.-7 ने अपने अभिसाक्ष्य पैरा-1 में उक्त मोटरसाइकिल मंटू से ही जब्त करना बताया है। जिसका प्रतिपरीक्षा में कोई खण्डन नहीं किया गया है। और यह सुस्थापित विधि है कि जप्ती पत्रक के पंच साक्षी यदि जप्ती का समर्थन नहीं करते हैं तो उसे विवेचना अधिकारी अपनी साक्ष्य से प्रमाणित कर सकता है इस संबंध में न्याय दृष्टि **जुझार वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. 2002 (4) एम. पी.एच.के. 94** अवलोकनीय है।



13. आरोपी मंटू की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्कों में अभियोजन के मामले को इस आधार पर अप्रमाणित माने जाने का तर्क किया गया है कि प्रकरण के अन्य आरोपीगण पूर्व में ही दोषमुक्त किए जा चुके हैं और आरोपी मंटू के विरुद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं आई है, स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है, पंच साक्षी पक्ष विरोधी हैं। कोई जब्ती नहीं हुई है न कोई शिनाख्ती हुई है, जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि आरोपी मंटू के संबंध में स्पष्ट और पर्याप्त साक्ष्य है उससे ही लूटी गयी मोटरसाइकिल जब्त हुई है इसलिये दोषमुक्त हुए आरोपियों का लाभ उसे नहीं मिल सकता है।

14. जहां तक पूर्व में निर्णीत अभियुक्तों का प्रश्न है, यह सही है कि आरोपीगण डबू उर्फ रणविजय एवं रिकू उर्फ बलभद्र जो कि विचाराधीन आरोपी मंटू के सगे भाई हैं, वे निर्णय दि०-6/12/15 के अनुसार संदेह के आधार पर दोषमुक्त हो चुके हैं किन्तु इस आधार पर अभियोजन की साक्ष्य विचाराधीन आरोपी मंटू के संदर्भ में भी संदिग्ध मानी जाये ऐसी विधि नहीं है, बल्कि भारतवर्ष में यह सूक्ति दण्डिक विचारण में लागू है कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत लागू नहीं है। इसलिये दोषमुक्त हुए आरोपियों के आधार पर आरोपी मंटू का मामला भी संदिग्ध नहीं माना जा सकता बल्कि उसके संबंध में स्वतंत्र रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है इसलिये इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत रणजीत सिंह विरुद्ध अन्य एवं म.प्र. राज्य ए.आई.आर.-2010 एस.सी.-255 में प्रतिपादित किया गया है।

15. प्रदर्श पी.-2 के द्वारा जो मोटरसाइकिल जब्त हुई है, उसकी पहचान की कार्यवाही करायी जाना बताया गया है, और मोटरसाइकिल की शिनाख्ती का पंचनामा प्र.पी.-14 अभिलेख पर है, जिसके संबंध में शिनाख्ती कराने वाले बाबूखां अ.सा.-09 ने इस आशय का स्पष्ट साक्ष्य दी है कि उसने दि०-8/5/2007 को नगर पंचायत मौ के वार्ड नंबर-9 के पार्श्वद रहते हुए थाना मौ के अपराध क्र०-27/2007 में जब्तशुदा मोटरसाइकिल प्लेटिना की फरियादी राजकुमार से शिनाख्ता करायी थी जिसमें उसने मोटरसाइकिल पहचानते हुए अपने पिता की बतायी थी। और जिसका शिनाख्ती मेमो प्र.पी.-14 अभिलेख पर है जिसके ए से ए भाग पर उक्त साक्षी ने स्वयं के और बी से बी भाग पर फरियादी राजकुमार के हस्ताक्षर बताये हैं। हालांकि वे प्र.पी.-14 की लिखापट्टी पुलिस द्वारा कराना और उसपर हस्ताक्षर करा लिये जाना बताता है किन्तु उसके अभिसाक्ष्य में इस बात का खण्डन नहीं हुआ है कि मोटरसाइकिल की पहचान फरियादी ने नहीं की। इसलिये प्रदर्श पी.-14 का दस्तावेज पुलिस द्वारा लिखाने की बात को ग्रहण कर लिये जाने के बावजूद शिनाख्ती कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्र.पी.-2 के जब्तीपत्रक के संदर्भ में प्र.पी.-14 के शिनाख्ती पत्रक का मिलान होता है और दोनों दस्तावेजों का एक साथ मूल्यांकन किए जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्र.पी.-2 के माध्यम से जो मोटरसाइकिल जब्त हुई वह फरियादी राजकुमार के आधिपत्य की थी जिसका वह उपयोग करता था, जो आरोपी मंटू से बरामद हुई है और आरोपी मंटू की ओर से यह नहीं बताया गया है कि उक्त मोटरसाइकिल उसके आधिपत्य में कैसे आयी? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में निराकृत आरोपीगण और विचाराधीन आरोपी सभी आपस में सगे भाई हैं। इसलिये अभियुक्तों की पहचान न होने के आधार पर प्रकरण को संदिग्ध विचाराधीन आरोपी के संदर्भ में नहीं माना जा सकता है।

16. घटना की दूसरी पीड़िता ऊषादेवी जो कि रिपोर्टकर्ता राजकुमार की माँ है, वह

अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुई है और उसने अपने अभिसाक्ष्य में केवल यही बताया है कि वह अपने लड़के राजकुमार के साथ ग्राम रनगवां कमलकिशोर के यहाँ गई थी। और लौटकर अपने लड़के के साथ ही अपने गांव सोनी प्लेटिना मोटरसाईकिल से आ रही थी जो उसके पति के नाम से हैं। उसके रिश्तेदार सुनील, नरेन्द्र, बलराम भी अलग मोटरसाईकिल से थे। वापिसी धमूरी गांव से की थी जहाँ पर तीन चोर खड़े थे। एक के पास बंदूक थी जो कट्टा लिये थे। उसके लड़के के सिर में बंदूक का बट मारा था जिससे सिर में चोटें आई थीं। और एक ने उसका मंगलसूत्र छीन लिया था। फिर तीनों घटना करने वाले मोटरसाईकिल व उसका मंगलसूत्र छीनकर ले गये थे। घटना के समय अंधेरा था। आठ बज गये थे इसलिये घटना करने वालों को वह नहीं पहचान सकती है। उसने इतना अवश्य कहा है कि जिस बदमाश ने उसका मंगलसूत्र छीना था वह ठिगने कद का था। लेकिन घटना करने वाले मुंह बांधे हुए थे। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे और उसके लड़के के सिर में चोट आकर खून निकलने से वे बेहोश हो गयी थी। और घटना के बाद पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की न पुलिस से वह बाद में मिली थी। उसे घर आने के बाद होश आया था। इस तरह से उक्त साक्षिया का भी अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं है। वह केवल इस बात की पुष्टि करती है कि तीन लड़कों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें उसके पुत्र राजकुमार को बंदूक के बट से चोटें भी पहुंचाई गई थीं। जिससे भी अ.सा.-8 के अभिसाक्ष्य की पुष्टि होती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके साथ लूट की घटना घटित हुई जिसमें राजकुमार को चोटिल भी किया गया था।

17. अभियोजन कथानक मुताबिक आहत के अन्य रिश्तेदार अरूण, सुनील, नरेश और बलराम को भी आगे आगे मोटरसाईकिल से चलना और घटना देखी जाना बताया गया है। जिनमें से सुनील अ0सा0-4 के रूप में, अरूण अ0सा0-5 के रूप में, नरेन्द्र अ0सा0-6 के रूप में परीक्षित हुए हैं। अ.सा.-4 ने यह स्वीकार किया है कि ऊषादेवी उसकी मौसी और राजकुमार मौसा का लडका है। तथा वे घटना वाले दिन अपने अन्य मौसा कमलकिशोर शर्मा के यहाँ से वापिस जा रहे थे। उसने राजकुमार के सिर में बंदूक का कट मारने और उससे चोट आकर खून निकलने की पुष्टि करते हुए यह कहा है कि राजकुमार के सिर उन्होंने साफी से बांध दिया था जो खून से बिगड़ गई थी और टी शर्ट भी खून से बिगड़ गई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है इसलिये उसका यह कहना कि वह आरोपियों को नहीं पहचान सकता है, यह अखण्डनीय रहा है। पहचान के बारे में ऊपर स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है और आरोपी मंटू के संबंध में पहचान का बिन्दु प्रदर्श पी.-2 मुताबिक लूटी गयी मोटरसाईकिल की जब्ती को देखते हुए महत्व नहीं रखता है।

18. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— **अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

19. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:—

1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।

3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
5. चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।

20. धारा-27 साक्ष्य विधान के तृतीय अंग के रूप में दी गई जानकारी में सुसंगत तथ्य का पता चलना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध दामो गोपीनाथ शिन्दे ए0आई0आर0 2000 एस0सी0 पेज-1651** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान मूल रूप से पश्चातवर्तीय घटना द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यदि किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है तो यह सूचना के सत्य होने की गारंटी होती है क्योंकि जिस स्थान से वस्तु की बरामदगी होती है उसका ज्ञान अभियुक्त को ही होता है। ऐसा उपधारित होगा। न्याय दृष्टांत **सलीम अख्तर विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0(2003) 5 एस0सी0सी0 499** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत दिये जाने वाले कथन का उतना भाग ही साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होगा जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है।

21. इस प्रकरण में साक्षी अरुण शर्मा अ0सा0-5 जो कि आरोपी मण्टू के मेमोरेण्डम और मोटरसाईकिल की जप्ती का साक्षी है, उसने भी पुलिस को प्र0पी0-7 का कथन देने से इन्कार किया है जिसे अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी भी घोषित किया गया है। तथा प्र0पी0-2 के जप्ती पत्रक मुताबिक आरोपी डब्लू उर्फ रणविजय के दरवाजे के सामने ग्राम जारेट से फरियादी राजकुमार की मोटरसाईकिल नंबर-एम0पी0-30 एमबी-3166 सिल्वर रंग की आरोपी मंटू के कब्जे से जप्त होना बताई गई है। जबकि अ0सा0-5 मोटरसाईकिल की जप्ती लूट की घटना के पांच दिन बाद कन्या शाला मौ से होना बताते हुए डब्लू राजपूत के दरवाजे के सामने ग्राम जारेट से जब्त होने से इन्कार करता है। जबकि उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य मुताबिक फरियादी राजकुमार उसकी मौसी का लडका है और ऊषादेवी उसकी मौसी है, जो घटना के पीडित व्यक्ति हैं। इसी प्रकार मोटरसाईकिल की जप्ती का अन्य साक्षी शिवनारायण अ0सा0-3 भी अपने अभिसाक्ष्य में मोटरसाईकिल कन्या शाला से जप्ती होना बताता है। और उसने इस बात से इन्कार किया है कि घटना के समय उसने आरोपीगण के द्वारा लूटी गई मोटरसाईकिल को पेट्रोल पंप पर पहचाना था। हालांकि उक्त साक्षी ने भी प्र0पी0-3 का पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है। किन्तु पक्ष विरोधी घोषित किये जाने पर उसने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि आरोपीगण के डर के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है जिसका वह यह कारण बताता है कि उनसे दुनिया डर रही है किन्तु प्रति परीक्षा के पैरा-3 में उसकी स्थिति स्पष्ट हुई है। क्योंकि कथन के समय आरोपीगण जो कि न्यायिक निरोध में थे और न्यायालय में उपस्थित नहीं थे, उनके बारे में उसका यह भी कहना है कि उसे गवाही के लिये किसी आरोपी ने धमकी नहीं दी है और उसने आरोपियों को पहले भी नहीं देखा है। इसलिये वह सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता है। लूट वाली मोटरसाईकिल रामस्वरूप की थी जिसकी कोई विशेष पहचान नहीं थी और सिल्वर रंग की कई मोटरसाईकिलें होती हैं। उसके मुताबिक कन्या शाला मौ जहाँ से मोटरसाईकिल जप्त हुई थी, वहाँ पुलिस के दीवानजी और उसके अलावा और कोई नहीं था और पुलिस के दीवानजी मोटरसाईकिल मौ थाने ले गये थे जबकि प्र0पी0-2 की कार्यवाही एए0एसआई के0एस0 सिकरवार अ0सा0-7 ने करना बताई है, जिसका खण्डन नहीं हुआ है। जो आरोपी मंटू को लूट की घटना से कडी के रूप में जोड़ती है और प्र.पी.-2 के



मुताबिक मोटरसाइकिल की हुई जब्ती उक्त विवेचक ने प्रदर्श पी.-6 के आरोपी मंटू से पूछताछ करने पर दिये गये मेमोरेण्डम कथन धारा-27 साक्ष्य विधान के अनुक्रम में होना बतायी है। उक्त विशिष्ट तथ्य कि लूट की मोटरसाइकिल कहाँ है ? इसकी जानकारी उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकती है, इसलिये मोटरसाइकिल बरामदगी की सूचना बाबत प्रदर्श पी.-6 का मेमोरेण्डम कथन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है और उसे इस आधार पर खण्डित या आधारहीन नहीं माना जा सकता कि पंच साक्षियों ने उसका समर्थन नहीं किया है, जबकि अ.सा.-7 ने प्रतिपरीक्षा पैरा-3 में स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि उसे आरोपी मंटू ने प्रदर्श पी.-6 का मेमोरेण्डम कथन नहीं दिया।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **रामकिशन मीठालाल शर्मा विरुद्ध स्टेट ऑफ बॉम्बे ए0आई0आर0 1955 एस0सी0 पेज-104** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 27 साक्ष्य विधान के तहत पुलिस अभिरक्षा में दी गई सूचना जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है वह साबित की जा सकती है। चाहे वह अस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं और ऐसी सूचना के सत्य होने की होगी तथा उसे सुरक्षित रूप से साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है।

23. नरेन्द्र शर्मा अ0सा0-6 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य के पैरा-1 में राजकुमार अ0सा0-8 की तरह ही रनगवां से वापिस जाते समय लूट की घटना रास्ते में होना और राजकुमार की मोटरसाइकिल उसकी मारपीट करते हुए लूटा जाना और ऊषादेवी का मंगलसूत्र लूटा जाना तो बताया है किन्तु उसके मुताबिक वह जिस स्थान पर लूट की घटना हुई थी उससे एक फर्लांग आगे था। इसलिये वह लूट करने वालों को नहीं देख पाया था। और सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है। और उसके द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी गई है, किन्तु उसने लूट की पुष्टि अवश्य की है।

24. ऐसे में अ0सा0-1 लगायत 6 एवं 8 के अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि राजकुमार और उसकी माँ ऊषादेवी के साथ ग्राम रनगवां से मोटरसाइकिल क्रमांक-एम0पी0-30 एमबी-3166 से अपने घर वापिस आते समय रास्ते में ग्राम घमूरी दंदरौआ लोक मार्ग पर लूट की घटना तो घटी जिसमें मोटरसाइकिल और मंगलसूत्र लूटा गया था। मंगलसूत्र बरामद नहीं हुआ है। मोटरसाइकिल विवेचना के दौरान बरामद होना बताई गई है किन्तु जिस स्थान से और जिस व्यक्ति से प्र0पी0-2 मुताबिक जप्ती होना बताई गई, उसकी पुष्टि पंच साक्षियों ने नहीं की है, किन्तु अ.सा.-7 लगायत अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य से पुष्टि होती है। इसलिये अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य से मोटरसाइकिल प्र0पी0-2 मुताबिक ही जप्ती होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

25. विचाराधीन आरोपी मण्टू उर्फ केशवसिंह राजपूत को प्रकरण में प्रदर्श पी.-4 व 6 के धारा-27 साक्ष्य अधि0 के मेमोरेण्डम कथन तथा प्र.पी.-2 के जब्ती पत्रक के आधार पर प्र.पी.-8 के गिरफ्तारी पत्रक बनाकर अभियोजित किया गया है। कथानक में अभियुक्तों का भी प्लेटिना मोटरसाइकिल से ही आकर लूट की घटना का अंजाम देना बताया गया है जो बिना नंबर की थी और फरियादी की लूटी गयी मोटरसाइकिल भी बजाज प्लेटिना की बतायी गयी है, वही प्रदर्श पी.-02 के द्वारा जब्त हुई है और प्रदर्श पी.-14 के द्वारा उसकी शिनाख्त हुई है जिससे आरोपी मंटू उर्फ केशवसिंह के द्वारा फरियादी राजकुमार के आधिपत्य से मोटरसाइकिल की



सुसंगत घटना में लूट कारित की जाना और लूट कारित किए जाने में उसे स्वेच्छापूर्वक उपहति पहुंचायी जाने की पुष्टि उपलब्ध साक्ष्य से युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होती है।

26. घटना के विवेचक राजेश शर्मा अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन किये जाने पर उसके द्वारा थाना प्रभारी मौ की हैसियत से पदस्थ रहते हुए दिनांक 23.04.07 को फरियादी राजकुमार की रिपोर्ट पर से प्र0पी0-10 की एफआईआर लेखबद्ध करना बताया है। राजकुमार अ0सा0-8 भी प्र0पी0-10 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध कराना कहता है जिसमें तीनों लूट कारित करने वाले आरोपी अज्ञात हैं। अ0सा0-10 ने प्र0पी0-11 का घटनास्थल का मानचित्र फरियादी की निशादेही पर तैयार करना कहा है। जिसका समर्थन राजकुमार अ0सा0-8 ने भी किया है जिससे यह पुष्टि होती है कि फरियादी के साथ लूट की घटना घमूरी, दंदरौआ लोक मार्ग पर पुलिया के पास रपटा पर घटित हुई थी, जो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र में आना भी प्रमाणित है।

27. इस तरह से अभिलेख पर प्रस्तुत उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के चरणबद्ध तरीके से किए गये विश्लेषण के आधार पर अभियोजन कथानक मुताबिक बतायी घटना में आरोपी मंटू उर्फ केशव के विरुद्ध युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल हुआ है कि उसने दि0-22.04.07 को रात लगभग 8.15 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घमूरी दंदरौआ के बीच आम रास्ता पर अन्य अज्ञात अपराधियों के साथ संयुक्त रूप से राजकुमार को स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए उसकी मोटरसाईकिल की लूट कारित की। जिससे धारा-394 भा.द.वि. एवं 11/13 एम.पी.डी.बी. पी.के. एक्ट 1981 का विरचित आरोप प्रमाणित होने से उक्त धारा के तहत उसे दोषसिद्ध ठहराया जाता है किन्तु प्रकरण में इस संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य का अभाव है कि आरोपी आग्नेय आयुध से सुसज्जित भी था इस कारण विकल्प में लगाये गये आरोप धारा-398 भा.द.वि. के आरोप से वह दोषमुक्ति का पात्र है। अतः धारा-398 भा.द.वि.के आरोप से उसे दोषमुक्त किया जाता है।

28. अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को अपराधी परीवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत लाभ की पात्रता नहीं रखता है, इसलिये दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

### दण्डाज्ञा

29. — दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपी मंटू उर्फ केशव के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने गये। विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि घटना गंभीर प्रकृति की है, इसलिये आरोपी को कठोर दण्ड दिया जावे। जबकि आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सर्वप्रथम तो घटना संदिग्ध है तथा आरोपी गृहस्थ व्यक्ति हैं और प्रथम अपराधी हैं, एवं अशिक्षित ग्रामीण हैं और उसपर अपने अपने परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व भी है, उसके विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है। तथा वे लंबे अरसे से अभियोजन का सामना कर रहा है। और विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में भी रह चुका तथा वर्तमान में भी है इसलिये उसे उचित दण्ड मिल चुका है अतः उसे पूर्व में भोगी गई अवधि से ही दण्डित कर या अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ दिया

जावे। या न्यूनतम दण्ड दिया जावे।

30. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के दण्डाज्ञा पर किए गये तर्कों पर चिन्तन मनन कर विचार किया गया। दोषसिद्ध अपराध की घटना में आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। वर्तमान में लूट डकैती जैसी बढ़ती हुई घटना को देखते हुए मामला विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, एवं उदारता का रूख नहीं अपनाया जा सकता है, क्योंकि दण्डाज्ञा के बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है कि अपराध की प्रकृति के आधार पर यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि समाज में उसका उचित संदेश जाये और अपराध करने वालों का मनोबल टूटे। तथा विधि की समाज में पृतिष्ठा कायम हो सके। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **युनियन ऑफ इण्डिया विरुद्ध कुलदीप सिंह 2004 वॉल्यूम-1। एस.सी.सी. पेज-590 एवं स्टेट ऑफ एम.पी. विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03 जे.एल.जे.(एस.सी.) पेज-277** अवलोकनीय है।

31. फलतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात आरोपी मंटू उर्फ केशव को दोषसिद्ध अपराध धारा-394 भा.द.वि. सहपठित धारा-11/13 डकैती अधिनियम 1981 के अपराध में **सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर उसे व्यतिक्रम में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

32. आरोपी का सजा वारण्ट बनाया जावे एवं धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक **आरोपी मंटू उर्फ केशव** द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी अवधि समायोजित की जावे, प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो। आरोपी को सभी सजायें एक साथ भुगतायी जावें।

33. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मोटरसाइकिल पूर्व से पंजीकृत स्वामी को सुपुर्दगी पर दी गयी है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय का आदेश मान्य होगा।

34. निर्णय की प्रति आरोपी को निशुल्क प्रदान की गयी।

35. निर्णय की प्रतिलिपि डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 23 अप्रैल 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड